बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 3

08 चैत्र, 1939 (श.)

बुधवार, तिथि ----------

29 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 38

1.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	....	....	06
2.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	....	....	02
3.	नगर विकास एवं आवास विभाग	....	....	19
4.	सामान्य प्रशासन विभाग	....	....	03
5.	सहकारिता विभाग	....	....	01
6.	पर्यटन विभाग	....	....	05
7.	मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) विभाग	....	....	01
8.	आपदा प्रबंधन विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**38**

नावों का निबंधन

अ* 206. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में नाव से दुर्घटना न हो, इसके लिए वर्ष 2011 में नाव नियमावली बनाई गई थी लेकिन नियमावली को कड़ाई से लागू नहीं करने की वजह से राज्य में लगातार नाव दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) क्या यह सही है कि नियमावली बनने के कुछ महीने बाद पूरे राज्य में मात्र दो हजार नावों का निबंधन हुआ तथा इसके बाद से आज तक कोई निबंधन नहीं हुआ;

(ग) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में 600 खतरनाक नदी-घाट हैं जिनमें सिर्फ पटना में ही 31 खतरनाक नदी-घाट हैं, परन्तु इन नदियों-घाटों पर भी बेरोकटोक नावें चलायी जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में नाव दुर्घटना न हो, इसके लिए सभी खतरनाक घाटों को परिचालन युक्त बनाकर सभी नावों का निबंधन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

* 464. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला पदाधिकारी द्वारा आपूर्ति विभाग सहित, बिहार राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी सहित जिलों की बैठक में विभागों में चल रहे अवैध कार्यकलाप को लेकर चम्पारण की जनता की इस शिकायत के बाद पी.डी.एस. डीलरों तथा बिहार राज्य खाद्य निगमों द्वारा मनमानी की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी ने दो अधिकारियों को संस्पेंड किया था तथा आपूर्ति विभाग के गलत कार्यों के लिए जांच पदाधिकारी के रूप में श्री भाग्य नारायण चौधरी, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण समाहरणाल को नियुक्त किया था। तदुपरांत जांच पदाधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2016 को 01 बजे दिन में जिला आपूर्ति शाखा की जांच

अ* दिनांक 16 मार्च, 2017 ई. से स्थगित।

निरीक्षण टिप्पणी ज्ञापांक सं.-26, दिनांक 30.12.2016 में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण समेत प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ अनुरोध किया था कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के भ्रष्टाचार/अवैध वसूली के साथ-साथ उनके कार्यकाल के कार्य की जांच के साथ-साथ अन्य आवश्यक जांच करने के बारे में क्या बात कही है तथा उन्होंने अपना क्या निष्कर्ष दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा किये गये अवैध कार्यों के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण सहित प्रधान सचिव द्वारा की गई जांच के उपरांत कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कब्जा से मुक्त

***** 465. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड जरहटिया (मोहम्मदपुर) निवासी परमेश्वर सहनी की खतियानी जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर घर बनाकर रह रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक 15.10.16 को भूमि सुधार समाहर्ता ने कब्जायुक्त भूमि से लोगों को हटाकर अन्यत्र बास भूमि मुहैया कराने के संबंध में लिखित रूप से प्रस्ताव दिया था;

(ग) क्या यह सही है कि विभागीय स्तर से मात्र पत्राचार ही अनुपालन में लाया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पीड़ित परमेश्वर सहनी की उक्त खतियानी जमीन को विभागीय स्तर से कब्जा मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सड़क एवं नाला का निर्माण

***** 466. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना सदर में ग्राम-बांसकोठी, थाना एवं पो.-दीघा के गेट नं. 97 के अंदर श्री नरेश मेहता के घर से स्व. धर्मदास मेहता के घर होते हुए श्री गयानंद प्रसाद के घर तक पी.सी.सी. सड़क ढक्कनयुक्त नाला का निर्माण जनहित में अत्यावश्यक है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कार्य जनहित में करवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

खिलाड़ियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि

***** 467. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-3/एम.32/2015, सा.प्र. 585, दिनांक 13.01.2016 के द्वारा राज्य की सेवा में नियुक्त खिलाड़ी की सेवा शर्त बनायी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि अधिसूचना में उल्लेखित क्रमांक-4 में प्रावधान किया गया है कि सरकारी सेवक खिलाड़ियों की नियुक्ति के उपरान्त राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर उनकी अगली वेतनवृद्धि के समतुल्य राशि के बराबर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि के रूप में स्वीकृत की जा सकेगी तथा यह राशि पूरे सेवाकाल में जारी रहेगी, जिसे संबंधित विभागों को लागू करना है, किन्तु यह अधिसूचना पटना सहित अन्य जिलों में लागू नहीं की जा सकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिसूचना के आलोक में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क एवं नाली का निर्माण

***** 468. **मो. तनवीर अख्तर** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना की फुलवारीशरीफ नगर परिषद् में मकदूम रासती नगर में एन.एच.-98 से अब्दुल समद इंक्लेव तक पक्की सड़क एवं नाली की स्थिति अत्यंत जर्जर है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार फुलवारीशरीफ नगर परिषद् में मकदूम रासती नगर में एन.एच.-98 से अब्दुल समद इंक्लेव तक पक्की सड़क एवं नाली का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क एवं नाला का निर्माण

* 469. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-11 स्थित गंगा विहार कॉलोनी में गोपीनाथ जी के घर की बगल से कमला कान्त शर्मा के घर होते हुए शशि सिंह के घर तक कच्ची सड़क एवं नाला नहीं रहने के कारण हमेशा जल-जमाव रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि इस गली के निवासियों द्वारा कई बार संबंधित पदाधिकारियों को पी.सी.सी. सड़क निर्माण एवं जल-निकासी के संबंध में सम्पर्क किया गया;

(ग) क्या यह सही है कि पूर्व में बेउर वाटर ट्रीटमेंट प्लान के कार्यपालक अभियंता द्वारा जल-निकासी का प्राक्कलन भी तैयार किया गया था, किन्तु अबतक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंगा विहार कॉलोनी में गोपीनाथ जी के मकान की बगल में शशि सिंह के मकान के आगे तक पी.सी.सी. ढलाई एवं नाला का निर्माण यथाशीघ्र करने का निदेश देना चाहती है?

लाईसेंस का नवीकरण

* 470. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों से लाईसेंस निर्गत होता है;

(ख) क्या यह सही है कि बकरा मांस, मछली, पटाखा निर्माण एवं बड़ा जानवर को वध कर मांस बेचने के व्यवसाय का लाइसेंस निर्गत होता है;

(ग) क्या यह सही है कि दिनांक 31.03.2016 के बाद पुराने लाईसेंसधारियों को लाईसेंस नवीकरण नहीं हो रहा है जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को पुराने लाईसेंसधारियों की लाईसेंस का नवीकरण करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

राशि का भुगतान

***** 471. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2014-15 में रब्बी फसलों के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू थी;

(ख) क्या यह सही है कि संपूर्ण राज्य में बीमा कम्पनी द्वारा 8 लाख 82 हजार 719 किसानों के लिए 761.96 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का दावा प्रस्तुत किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर जो क्षतिपूर्ति की राशि दर्शायी गई है, वह क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से काफी कम है, जिसके कारण किसानों में आक्रोश है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वेबसाइट पर दिये गए आंकड़ों को सुधार कर क्षतिपूर्ति की राशि के दावा के भुगतान का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की बुआई से फसल की कटनी तक की स्थिति के लिए बीमा का प्रावधान है। अबुआई क्षेत्र के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं है।

रबी 2014-15 मौसम में राज्य में फसल बीमा की कार्यान्वयन एजेंसी यथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा उक्त प्रावधानों का ही संदर्भ करते हुए क्षतिपूर्ति राशि का दावा प्रस्तुत किया गया है।

(घ) उपर्युक्त खंड (ग) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अतिक्रमण मुक्त करते हुए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित

***** 472. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी;

(ख) क्या यह सही है कि चौसा की लड़ाई के मैदान को देखने के लिए बाहर से भी पर्यटक आते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि इस स्थल को कुछ दबंग लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक चौसा की लड़ाई के मैदान को अतिक्रमण से मुक्त कराने, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) जिला पदाधिकारी, बक्सर ने अपने पत्रांक 05-286, दिनांक 01.03.2007 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

(घ) तत्काल चौसा में किसी योजना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थलों को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु विभाग द्वारा रोडमैप का निर्माण किया जा रहा है। तदुपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से इन स्थलों का विकास किया जाएगा।

मूर्तियों की सुरक्षा एवं देखभाल

***** 473. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण के विभिन्न चौराहों पर लगी महापुरुषों की मूर्तियों के पास गंदगी रहती है एवं प्रकाश व्यवस्था का अभाव है;

(ख) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह शताब्दी वर्ष इस वर्ष मनाई जायेगी लेकिन उन महापुरुषों की मूर्तियों पर पक्षियों द्वारा गंदा करने की भी शिकायत रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा इन मूर्तियों की सम्पूर्ण सुरक्षा एवं देखभाल हेतु कौन-सी योजना बनाई गई है?

ट्रैफिक लाइट अव्यवस्थित

* 474. **श्री रणविजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी शहरों में यातायात की व्यवस्था बहुत ही खराब है, जिससे आये दिन दुर्घटना घटित होती रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना शहर में यातायात की व्यवस्था ठीक करने की दिशा में ट्रेफिक लाइट लगायी गई, परन्तु एक-दो जगह छोड़कर अन्य जगह बंद पड़ी रहती है तथा जहां चालू है, वहां आरक्षी नहीं रहने से यातायात ध्वस्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाना चाहती है कि पटना में ट्रैफिक लाइट लगावाने में कितनी राशि खर्च हुई तथा इससे क्या फायदा हुआ है, नहीं तो क्यों?

सड़क का निर्माण

* 475. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत खुदीराम बोस की चिताभूमि की सड़क काफी जर्जर है, जिससे चिताभूमि पर पुष्प अर्पण करने वाले पर्यटकों को काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की चिताभूमि तक जाने के लिए अखाड़ा घाट से सड़क थी, जो जर्जर होने से पुनरुद्धार की प्रक्रिया में है;

(ग) क्या यह सही है कि मारवाड़ी उच्च विद्यालय ढलान (लकड़ी ढाही) तक सड़क निर्माण कार्य बंद है;

(घ) क्या यह सही है कि जेल चौक से चिताभूमि की सड़क अतिक्रमण की शिकार है तथा काफी जर्जर है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो चिताभूमि तक जाने वाली सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराकर पुष्प अर्पित करने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए सड़क का निर्माण सरकार कबतक करना चाहती है?

पर्यटन स्थल का जीर्णोद्धार

***** 476. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भगवान वामन की जन्मभूमि, विश्वामित्र की तपोभूमि, श्रीराम की शिक्षास्थली, अध्यात्म और विरासत का संगम कहे जाने वाले बक्सर पर्यटन के मामले में उपेक्षा का शिकार हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि पर्यटन की दृष्टि से जिले में पौराणिक स्थलों की कमी नहीं है, परन्तु इन स्थलों को संवारने में पर्यटन विभाग की कोई रुचि नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि यहां अनेकों मंदिरों के साथ-साथ चौसा एवं कथकौली लड़ाई के मैदान, डुमरांव में राजाभोज का किला, इटाढ़ी स्थित सोखा धाम, प्रह्मपुत्र स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर आदि ऐसे स्थल हैं, जिन्हें पर्यटन सर्किट से जोड़ा जा सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बक्सर सहित अन्य बिहार की धरोहर माने-जाने वाले पर्यटन स्थलों का उचित रख-रखाव तथा उनका जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उत्तर - (क) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

पर्यटन विभाग द्वारा बक्सर में विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास हेतु निम्नलिखित योजना स्वीकृत की गई है।

1. बक्सर के विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं घाटों का विकास, स्वीकृत राशि 182.76 लाख रुपया पूर्ण।

2. कथकौली लड़ाई मैदान में शहीदों की कब्र के समीप स्मृतिचिन्ह, पहुंच पथ एवं परिसर का विकास, स्वीकृत राशि 89.62000 लाख रुपया पूर्ण।

3. कथकौली लड़ाई मैदान को विकसित करने के संबंध में स्वीकृत राशि 62.06 लाख रुपया पूर्ण।

4. बक्सर में कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण, स्वीकृत राशि 99.41766 लाख रुपया, पूर्ण।

इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुविधा हेतु बक्सर में पूर्व से होटल विश्वामित्र भी निर्मित है तथा संचालित है।

(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(घ) पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थलों का विकास निरंतर पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। रामायण सर्किट में भी बक्सर के विभिन्न स्थलों यथा रामरेखा घाट, अहिरौली आदि स्थान को सम्मिलित कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु पत्रांक-142, दिनांक 24.01.17 के द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है।

केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण

***** 477. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बक्सर नगर स्थित केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अवरुद्ध है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बक्सर स्थित मृत नहर गैर उपयोगी भूमि को स्थानांतरित कर उक्त भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

शौचालय का निर्माण

***** 478. **श्री संजय प्रकाश** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या राज्य सरकार राजधानी में कम्युनिटी प्राइवेट शौचालय के निर्माण का विचार रखती है;

(ख) क्या यह सही है कि राजधानी पटना में कम्युनिटी शौचालय की नितांत आवश्यकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक शौचालय का निर्माण कराना चाहती है ?

प्रतिवेदन सार्वजनिक कबतक

***** 479. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों के स्थायीकरण/नियमितीकरण, वेतनमान हेतु श्री अशोक कुमार चौधरी (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता

में उच्च स्तरीय समिति का गठन अप्रैल, 2015 में किया गया था, लेकिन इस समिति का प्रतिवेदन अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग के आलोक में श्री जी.एस. कंग (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में फिटमेंट कमिटी का गठन किया गया है, लेकिन संविदा कर्मियों को इससे दूर रखा गया है, क्योंकि उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन/क्रियान्वयन के बाद ही उन पर यह लागू होगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के संविदा कर्मियों को फिटमेंट कमिटी की परिधि में लाते हुए उच्च स्तरीय समिति का प्रतिवेदन सार्वजनिक करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त

***** 480. **डा. जावेद इकबाल अंसारी** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बांका जिले में मंदार पर्वत एक पर्यटन स्थल है;

(ख) क्या यह सही है कि मंदार पर्वत की तलहटी में एक सरोवर है जो पापहरणी सरोवर के नाम से जाना जाता है, जिसका धार्मिक महत्व भी है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सरोवर में श्रद्धालु एवं पर्यटक धार्मिक दृष्टिकोण से स्नान भी करते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि पापहरणी सरोबर में श्रद्धालुओं खासकर महिलाओं के लिए स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए कुछ कमरे का निर्माण कराया गया है जो स्थानीय दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे महिलाओं को स्नान के बाद खुले में कपड़ा बदलना पड़ता है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण स्थल को मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(घ) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
जिला पदाधिकारी, बांका ने अपने पत्रांक-220, दिनांक 15.03.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि पापहरणी तालाब में स्नान के उपरांत चेंज रूम के रूप में कमरा का निर्माण नहीं कराया गया है।

मेला एवं विशेष अवसर पर अस्थायी रूप से चेंज रूम हेतु टेन्ट से घेरे का निर्माण कराया जाता है।

पापहरणी सरोवर के भिन्डा पर निर्मित गेस्ट हाउस का बेसमेंट, जो 60 फीट लम्बा एवं 18 फीट चौड़ा है, पर 12 दुकानें अस्थायी रूप से स्थापित हैं। नवम्बर, 2012 में मंदिर की आय बढ़ाने हेतु श्री श्री 108 नरसिंह भगवान मंदिर एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा उक्त 12 दुकानों का एकरारनामा के तहत क्षेत्रफल के आधार पर किराया निर्धारित किया गया था, जिससे कुल 18,000/- रु. प्रति माह की आमदनी होती है, जो मंदिर प्रबंध समिति के खाते में जमा रहती है। प्राप्त आय से मंदिर का राग-भोग तथा साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है। आय-व्यय की विधिवत रोकड़बही संधारित की जाती है।

मंदार पर्वत एवं अंग प्रदेश के विकास की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत स्वीकृति हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें पापहरणी तालाब पर आवश्यक पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण भी सम्मिलित है।

(ङ) अतिक्रमण से मुक्त करने का मामला नहीं बनता है।

कार्य संपादित कबतक

***** 481. **श्री हरि नारायण चौधरी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि फुलवारीशरीफ के वार्ड नं.-11 के शक्तिनगर, मित्रमंडल कॉलोनी, साकेत विहार से बरियार साहब के मकान वाली सड़क के शुरू होकर पूर्व कमिश्नर के मकान होते हुए पूर्व महाधिवक्ता कंठ साहब एवं पूर्व आयकर आयुक्त वाली सड़क को सम्मिलित करते हुए पक्का नाला (सीमेंटेड) का निर्माण कर जायसवाल की दुकान (विद्युत ट्रांसफार्मर) के पास तक बनाने के संबंध में नवासी लाख तेहत्तर हजार तीन सौ रुपए का प्राक्क्लन स्वीकृत है;

(ख) क्या यह सही है कि अब तक उक्त कार्य नहीं कराया गया है, जिसके कारण आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कार्य के पर्यवेक्षण में वरीय अधिकारियों द्वारा रुचि नहीं लेने के कारण कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रताशीघ्र उक्त कार्य संपादित करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अतिक्रमण से मुक्त

***** 482. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना के आर. ब्लॉक स्थित रोड नं.-06 में सड़क के किनारे बने नाले के ऊपर अवैध तरीके से दुकान खोलकर अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अतिक्रमण के कारण स्पेशल फैमिली टाइप क्वार्टरों-1, 2, 3, 4 के नाले का पानी निकल नहीं पाता है, पानी जमा होने से मच्छरों, मक्खियों के कारण वहां डेंगू, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों के होने का खतरा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार रोड नं.-06, आर. ब्लॉक में नाले के ऊपर बनी अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चालक के रहते दैनिक वेतनभोगी चालक

***** 483. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिवहर अुनमंडल में सरकारी चालक के रहते हुए अनुमंडल पदाधिकारी दैनिक वेतन भोगी चालक से अपनी गाड़ी चलवा रहे हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंडों खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बताएगी कि दैनिक वेतनभोगी चालक से अनुमंडल पदाधिकारी की गाड़ी चलाने का क्या औचित्य है ?

दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

***** 484. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर नगर निगम में नागिरक सुविधा मद से सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिए 93,32,477/-रु. (तिरानवे लाख बत्तीस हजार चार सौ सतहत्तर) की लागत से चार बार निविदा निकाली गई;

(ख) क्या यह सही है कि संबंधित पदाधिकारी द्वारा सरकारी नियम के विपरीत खास मकसद के तहत बगैर कारण बार-बार उक्त निविदा को रद्द किया गया है एवं दुबारा निकाली गई निविदा में पुनर्निविदा का उल्लेख नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि एक ही योजना का बार-बार अनावश्यक रूप से निविदा निकालने एवं बेवजह उसे रद्द करने से सरकारी राजस्व का नुकसान एवं उक्त योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नागरिक सुविधा मद से बनने वाले सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु निविदा में संबंधित सरकारी आदेश का उल्लंघन एवं मनमर्जी चलाने वाले दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

समतुल्य भुगतान कबतक

***** 485. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजस्व पर्षद् के पत्रांक-सं.सं.-3/7-4/96-1090, दिनांक 01.12.2016 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कोटियों के कर्मी यथा अकुशल (अनुसेवक) का दैनिक पारिश्रमिक रु. 206/- प्रतिदिन निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक-5/एम.डब्लू-403/2007 श्र.सं. 4971, 4972, दिनांक 29.11.2016 के द्वारा अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी रु. 237/- प्रतिदिन के दर से निर्धारित की गई है एवं यह दर दिनांक 01.12.2016 से प्रभावी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनुसेवकों का दैनिक पारिश्रमिक श्रम विभाग के द्वारा अकुशल श्रमिकों की निर्धारित मजदूरी रु. 237/- प्रतिदिन की दर के समतुल्य भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मिल मालिकों से राशि की वसूली

***** 486. **श्री दिलीप कुमार जायसवाल** एवं **श्री सूरज नन्दन प्रसाद** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि किशनगंज जिला में वर्ष 2012-13 में मिल मालिकों द्वारा धान के बदले चावल देने हेतु 20 करोड़ रुपये का गबन किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि 2015 में तत्कालीन समाहर्त्ता के निर्देश पर भी मील मालिकों के खिलाफ किशनगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक 16 (सोलह) मिल मालिकों पर राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र के तहत मामला चल रहा है परन्तु जिला प्रशासन शिथिल है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन मिल मालिकों से पैसा वसूल करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पार्क को विकसित

***** 487. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर-4 के भूतनाथ रोड से पूरब दिशा में बचपन स्कूल के पास एक बड़ा भूखंड पार्क के लिए चिन्हित है;

(ख) क्या यह सही है कि उस प्रस्तावित पार्क के चारों तरफ काफी पहले ढ़लाई की सड़क बनी थी, जिसपर सुबह में लोग सैर करते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि पार्क अविकसित स्थिति में है और जंगल-झाड़ से भरा होने के कारण उसमें लोग टहल नहीं पाते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक इस पार्क को विकसित करना चाहती है ?

स्पीडी ट्रायल कबतक

***** 488. **श्री संजय सिंह** : क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा दिनांक 21.11.2015 को गृह एवं निगरानी विभाग की समीक्षा बैठक की गई थी, जिससे पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, निगरानी गृह सचिव को भ्रष्ट लोकसेवकों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में तेज गति से स्पीडी ट्रायल कराने का निर्देश दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि दीन दयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय, खजुरिया, बरौली, गोपालगंज के अध्यक्ष सचिव प्राचार्य के विरुद्ध 50 लाख के गबन के एक भ्रष्टाचार के मामले निगरानी में प्राथमिकी दर्ज है, जिसकी प्राथमिकी संख्या 34/2015, दिनांक 7.5.2015 धारा 409, 420, 467, 471, 477(ए), 120(बी), 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दर्ज की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश के बावजूद अबतक निगरानी वाद संख्या 34/2015 में निगरानी के द्वारा स्पीडी ट्रायल अबतक प्रारंभ नहीं करने का क्या औचित्य है ?

गबन करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई

***** 489. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत मोतिहारी नगर परिषद् के वार्ड नं.-24 एवं 25 में मुख्यमंत्री नगर समेकित विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 का निर्माण कराया गया था जिसमें पी.सी.सी. सड़क एवं नाला निर्माण सम्मिलित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त दोनों वार्ड में पहले से नाला का निर्माण हुआ था जिसपर लोकल बालू से सिर्फ दो रद्दा जोड़कर ढाल दिया गया, उदाहरण के तौर पर राजकिशोर जी मास्टर के घर से चुन्नू श्रीवास्तव के घर तक निर्माण किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि वार्ड नं.-24 एवं 25 में पी.सी.सी. एवं नाला को लोकल बालू तथा सड़क के ही ईंट को उखाड़कर पुल निर्माण कराया गया दोनों स्कीम लगभग 25-30 लाख रुपये के थे जिसमें संवेदक, जे.ई. की मिलीभगत से सरकारी राशि का गबन किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी नगर परिषद् के वार्ड नं.-24 एवं 25 में अवैध निर्माण कर सरकारी लाखों रुपये के गबन करने वाले संवेदक, जे.ई. एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है?

अतिक्रमण से मुक्त

***** 490. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना के पोस्टल पार्क चौराहा, रामनगर, पुरानी जक्कनपुर एवं राजधानी के इलाकों में निबंधित जमीन के अलावा अतिरिक्त सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जिससे उन इलाकों की 10 फीट एवं 12 फीट सड़क (मार्ग) संकीर्ण हो चुकी है, फिर भी विभाग मौन है;

(ख) क्या यह सही है कि सार्वजनिक स्थल एवं पथ संकीर्ण हो जाने से मुहल्लों के चार चक्का एवं दो चक्का वाहनों के आवागमन को बाधित कर दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित कर अतिक्रमित उक्त वर्णित इलाकों के सार्वजनिक स्थलों एवं पथों का सर्वे कराने एवं अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कृषि अनुदान कबतक

***** 491. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 में आई बाढ़ के कारण कृषकों को फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान मिल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि बाढ़ प्रभावित वैसे किसान जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित हैं, उन्हें फसल क्षति अनुदान (कृषि इनपुट अनुदान) नहीं दिया जाएगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा से आच्छादित कृषकों को जिन्हें बाढ़ के कारण फसल की क्षति हई, उन्हें भी कृषि इनपुट अनुदान देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अत्याधुनिक बसों का परिचालन

***** 492. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के आरा से बक्सर, आरा से पटना, आरा से भभुआ, बलिया एवं बोकारो के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास 124 नई अत्याधुनिक बसें बुड्को ने भी खरीदी है साथ ही जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यू मिशन जे.एन.एन.यू.आर. के तहत केन्द्र सरकार ने भी बसें खरीदने के लिए राशि दी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कब से विभिन्न स्थानों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन की अत्याधुनिक एसी एवं नन एसी बसों को चलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चेम्बर का निर्माण

***** 493. **श्री केदारनाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर के हनुमान नगर पानी टंकी के पूर्व दक्षिणी कोना पर जीरो सिवरेज का चेंबर है और विजयनगर मोड़ से पानी टंकी तक के नाला का निर्माण नहीं होने से पानी सड़क पर ही लग जाता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार विजय नगर (हनुमान नगर) पानी टंकी तक चेंबर का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

जल-जमाव से निजात

***** 494. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ की महावीर कॉलोनी में सड़क एवं नाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां सालों भर गंदे पानी से जल-जमाव की समस्या बनी रहती है;

(ख) क्या यह सही है कि 15 सौ मीटर लंबी और 12 सौ फीट चौड़ी आरसीसी सड़क और नाले का निर्माण 2008 में हुआ था, जिसका स्तर मुख्य सड़क से नीचा बनाया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि सालों भर गंदा पानी सड़क पर जमा रहने के कारण स्कूली बच्चों एवं स्थानीय नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क को मुख्य सड़क के लेबल से मिलाकर सड़क का निर्माण कराने तथा यहां की जनता को जल-जमाव की नारकीय स्थिति से निजात दिलाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नाला एवं सड़क का निर्माण

***** 495. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हरेक गली एवं नाले का पक्कीकरण होना है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना मुख्यालय स्थित फुलवारीशरीफ स्थित खलीलपुरा, वार्ड नं.-03 में स्वर्गीय महफूज आलम के मकान से डा. मोजाहिद हुसैन के घर तक पी.सी.सी. सड़क एवं भूगर्भ नाला की स्थिति काफी जर्जर है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के निर्माण होने के कारण वहां बरसात के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सड़क एवं नाले का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर - (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(ग) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(घ) वस्तुस्थिति यह है कि यह सड़क पूर्व से ही पक्की सड़क है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत केवल कच्ची सड़क का निर्माण किया जाना है। प्रश्न में वर्णित सड़क का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति हेतु नगर निगम बोर्ड से योजना पारित होने के पश्चात् विभाग को प्राक्कलन प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता के आलोक में विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई

***** 496. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर जिला के धरहरा अंचल अन्तर्गत मौजा फुलका जमाबंदी सं.-57, तौजी नं.-7841, खाता सं.-47, 83, खेसरा नं.-361, 362 एवं 364 थाना नं.-220 जिला जो श्री अधिकलाल यादव की रजिस्ट्री केवाला खरीदगी जमीन है जिसका दाखिल खारिज सं.-134/93-94 के तहत जमाबंदी कायम एवं लगान वर्ष 1993 से 2002 तक भुगतान किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि जमालपुर मुंगेर नगर परिषद् के वर्ष 1994 में नक्शा स्वीकृत किया गया है जिस पर बना मकान का होल्डिंग सं.-124ए है तथा उस मकान में श्री अधिकलाल यादव का परिवार रह रहा है एवं मकान सं.-124ए-154 के कर भुगतान वर्ष 1994 से 2016-17 तक श्री अधिकलाल यादव के द्वारा भुगतान किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि भूमि माफिया श्री हरिलाल यादव, पिता-स्व. अनारसी यादव, छोटी गोविन्दपुर के द्वारा अनुचित तरीके से कब्जा करने की नीयत से दाखिल-खारिज वाद सं.-6/1995-96 के आधार पर स्वीकृत किया गया है, लेकिन पुन: हरिलाल यादव अंचल अधिकारी, धरहरा को जमाबंदी हेतु आवेदन के वाद सं.-37/98-99 भी अस्वीकृत कर दिया गया है तथा पुन: डी.सी.एल.आर., मुंगेर न्यायालय में अपील वाद सं.-79/98-99 को अस्वीकृत किया गया है, मुंगेर के न्यायालय में अपील डी.सी.एल.आर. के आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी, मुंगेर के न्यायालय में अपील वाद सं.-1/99-2000 दायर को भी अस्वीकृत किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जो अवैध तरीके से हरिलाल यादव एवं अंचल अधिकारी एवं डी.सी.एल.आर. तथा संलग्न दोषी व्यक्तियों के प्रति अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए श्री अधिकलाल यादव को पूर्व रसीद सं.-2904420 एवं 45515 के आधार पर लगान रसीद कटाने तथा दखल-कब्जा के प्रति विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों नहीं ?

भुगतान एवं दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

***** 497. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पूर्व मध्य रेल, निर्माण विभाग, दीघा के पत्रांक-2261, दिनांक-23.08.2002 के आलोक में गंगा रेल पुल परियोजना दीघा हेतु लगभग 24 एकड़ आवासीय भूमि (आवास बोर्ड से मुक्त थाना-1, चादर-1, दीघा) का अस्थायी अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अस्थायी अधिगृहीत भूमि जिसका खाता संख्या क्रमश: 1623, 1634, 1799 एवं 1820 का खेसरा संख्या - 1127, 1128, 1116,1119 एवं 1118 (रकबा क्रमश: 02, 50, 18, 32 एवं 88 डिसमिल कुल रकबा 90 एकड़) का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित पत्र के अनुसार 2002 से 2007 तक का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि पूर्व मध्य रेलवे का पत्रांक-907, दिनांक-18.02.2016 द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को भेजे गये पत्र के आलोक में आजतक वर्षवार अस्थायी अधिग्रहण के मुआवजे की दर का न तो निर्धारण किया गया और ना ही भुगतान हो पाया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2008 से भुगतान की तिथि तक सूद सहित भुगतान करते हुए विलंब के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करेगी, यदि हां तो कबतक ?

जलापूर्ति कबतक

***** 498. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत बाहरी वेगमपुर, बाहरी धवलपुर, डोम कॉलोनी आदि कॉलोनी में 70 दशक में जलापूर्ति पाइप लाइन बिछी थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त इलाके में मच्छरों का प्रकोप अधिक है;

(ग) क्या यह सही है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने और नालों में सिल्ट जमा होने से जल-जमाव है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार पटना जिला के उक्त इलाके में कई जलापूर्ति पाइप लाइन बिछाना चाहती है एवं मच्छरों से छुटकारा दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

रज्जु मार्ग का निर्माण

***** 499. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिला में अवस्थित ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला में रज्जु मार्ग (Rope way) बनवाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने तीन वर्ष पूर्व की थी;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अभी तक रज्जु मार्ग रोपवे का निर्माण नहीं कराया जा सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रोहतासगढ़ किले में रज्जु मार्ग का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

मूलभूत सुविधा की कमी

***** 500. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरूआ थाना स्थित बाबा बैजूधाम काफी प्राचीन धार्मिक स्थल है जहां दूर-दूर से पूजा-पाठ एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान हेतु लोगों का आना-जाना होता है;

(ख) क्या यह सही है कि धार्मिक स्थल के पास मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है;

(ग) क्या यह सही है कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी इसे छठी शताब्दी का प्राचीन धार्मिक स्थल बताया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त धार्मिक स्थल की महत्ता को देखते हुए वहां मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल, विश्राम गृह, पुलिस चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पटना
दिनांक 29 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्